रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234790
CG-DL-E-01042022-234790

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1501]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2022/चैत्र 11, 1944
No. 1501]	NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2022/CHAITRA 11, 1944

जल शक्ति मंत्रालय

(जलसंसाधन, नदी विकास और जल संरक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2022

का.आ. 1562(अ).—केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 28 मई, 2014 को गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् जीआरएमबी कहा गया है) का गठन किया था और वह ऐसी परियोजनाओं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, के प्रशासन, विनियमन, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए उसमें उल्लिखित कृत्यों का पालन करने के लिए 2 जून, 2014 से प्रभावी हुआ था ;

उक्त अधिनियम की धारा 87 की उपधारा (1) यह उपबंधित करती है कि बोर्ड साधारणतया संबद्ध राज्यों को जल या विद्युत का प्रदाय करने के लिए आवश्यक जल शीर्ष तंत्र (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक संरचना) नहर, नेटवर्क के भाग तथा पारेषण लाइनों पर उन परियोजनाओं में से किसी के बारे में ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करेगा जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन गठित अधिकरणों द्वारा किए गए अधिनिर्णयों, यदि कोई हो, के अनुसार अधिसूचित की जाए ;

शीर्ष परिषद ने तारीख 6 अक्तूबर, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड दोनों की अधिकारिता को अधिसूचित करने का विनिश्चय किया है और तदनुसार, केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 87 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. का.आ. 2843 (अ), तारीख 15 जुलाई, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् जीआरएमबी अधिकारिता अधिसूचना कहा गया है) द्वारा कृष्णा नदी पर अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए जीआरएमबी की अधिकारिता को अधिसूचित किया था;

उक्त जीआरएमबी अधिकारिता अधिसूचना के पैरा 1 के खंड (ठ) के अनुसरण में इसके प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की सरकारें दो सौ करोड़ रुपए की एक मुश्त प्रारंभिक रकम प्रदान करेंगी और जीआरएमबी बैंक खाते में जमा करेंगी, जो जीआरएमबी को अपने कार्यों को प्रभावी करने में सक्षम बनायेगा;

उक्त जीआरएमबी अधिकारिता अधिसूचना के पैरा 2 का खंड (च) यह उपबंध करता है कि अननुमोदित परियोजनाओं पर पूर्णत: या भागत: चल रहे कार्यों का, यदि कोई हो प्रचालन रोक दिया जाएगा, यदि उक्त जीआरएमबी अधिकारिता अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् छह महीने की अवधि के भीतर अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया जाता है ;

उक्त जीआरएमबी अधिकारिता अधिसूचना के पैरा 2 का खंड (छ) यह भी उपबंध करता है कि दोनों राज्य सरकारें इसके प्रकाशन की तारीख से छह महीने के भीतर उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में लिए गए विनिश्चय के अनुसार मूल्यांकित और अनुमोदित/अनुनमोदित परियोजनाओं को पूरा करेंगी और यदि ऐसा अनुमोदन छह महिने की नियत अवधि के भीतर नहीं प्राप्त किया जाता हैं, तो ऐसी पूर्ण अननुमोदित परियोजनाओं का प्रचालन बंद हो जाएगा ;

उक्त जीआरएमबी अधिसूचना के पैरा 1 के खंड (ठ) के उपबंधों के कार्यान्वियन की प्रगति पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकारों (जिसे इसमें इसके पश्चात् पक्षकार राज्य कहा गया है) के साथ विचार-विमर्श किया गया है और यह अभी तक उक्त पक्षकार राज्यों के विचाराधीन है ;

उक्त जीआरएमबी अधिसूचना के पैरा 2 के खंड (च) और खंड (छ) के उपबंधों के कार्यान्वियन की प्रगति अभी भी पक्षकार राज्यों के विचाराधीन है और तेलंगाना राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उक्त उपबंधों के कार्यान्वियन के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया था ।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 87 की धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त जीआरएमबी अधिकारिता अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त जीआरएमबी अधिकारिता अधिसूचना में,-

(क) पैरा 1 के खंड (ठ) में, "साठ दिनों" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) पैरा 2 में,-

(i) खंड (च) में, "छह महिने" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष की अवधि" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (छ) में, "छह महिने" शब्दों जहां कही वे आते हैं, के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. आर-22012/1/2021-पेन. रिव. खंड-एमओवीआर-भाग(3)]

संजय अवस्थी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : उक्त जीआरएमबी अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 2843(अ), तारीख 15 जुलाई, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2022

S.O. 1562(E).—Whereas, in pursuance of the powers conferred under sub-section (1) of section 85 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government on 28th May, 2014 constituted the Godavari River Management Board (hereafter referred to as the GRMB) and the same became effective on 2nd June, 2014 to perform the functions mentioned therein for the administration, regulation, maintenance and operation of projects as may be notified by the Central Government;

And whereas, sub-section (1) of section 87 of the said Act provides that the Board shall ordinarily exercise jurisdiction on Godavari river in regard to any of the projects over head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines necessary to deliver water or power to the States concerned, as may be notified by the Central Government, having regard to the awards, if any, made by the Tribunals constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956;

And whereas, in its 2nd meeting of the Apex Council, held on 6th October, 2020, it has been decided to notify the jurisdiction of both Godavari River Management Board and Krishna River Management Board and accordingly, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 87 of the said Act, the Central Government notified the jurisdiction of the GRMB to exercise the jurisdiction on Godavari river *vide* notification number S.O. 2843 (E), dated the 15th July, 2021 (hereafter referred to as the GRMB jurisdiction notification);

And whereas, in pursuance of clause (l) of paragraph 1 of the said GRMB jurisdiction notification, within a period of sixty days from the date of its publication, the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana shall provide one-time seed money of an amount of rupees two hundred crore each and be deposited in the GRMB bank account to enable the GRMB to discharge its functions effectively;

And whereas, clause (f) of paragraph 2 of the said GRMB jurisdiction notification provides that the ongoing works on unapproved projects, full or partial if any, shall cease to operate if approvals are not obtained within a period of six months after the publication of the said GRMB jurisdiction notification;

And whereas, clause (g) of paragraph 2 of the said GRMB jurisdiction notification also provides that within six months from the date of its publication, both State Governments shall complete the unapproved projects appraised and approved as per the provisions of the said Act and in accordance with the decisions taken in the 2nd meeting of the Apex Council; and if the said approvals are not obtained within the stipulated time of six months, such completed unapproved projects shall cease to operate;

And whereas, the progress of implementation of the provisions of clause (1) of paragraph 1 of the said GRMB jurisdiction notification has been discussed with the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana (hereafter referred to as the party States) and the same is still under consideration of the said party States;

And whereas, the progress of implementation of the provisions of clauses (f) and (g) of paragraph 2 of the said GRMB jurisdiction notification is also still under consideration by the party States and the State Government of Telangana requested the Central Government for extension of time for implementation of the said provisions.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 87 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendments in the said GRMB jurisdiction notification, namely:—

In the said GRMB jurisdiction notification,—

(a) in paragraph 1, in clause (l), for the words “sixty days”, the words “one year” shall be substituted;

(b) in paragraph 2,—

(i) in clause (f), for the words “six months”, the words “a period of one year” shall be substituted;

(ii) in clause (g), for the words “six months”, wherever they occur, the words “one year” shall be substituted.

[F. No. R-22012/1/2021-Pen Riv Section-MOWR-Part (3)]

SANJAY AWASTHI, Jt. Secy.

Note : The GRMB jurisdiction notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2843 (E), dated the15th July, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.04.01 22:33:39 +05'30'